

-:प्रेस नोट दिनांक 16-01-2021:-

जनपद के विभिन्न थानाक्षेत्रों से 03 वांछित/वारंटी अभि०गण तथा शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित / वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 16-01-2021 को थाना सहसवान पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त अरविंद उर्फ बटुआ यादव पुत्र ओमकार यादव निवासी ग्राम बड़ेरिया थाना सहसवान जिला बदायूं संबंधित एसएसटी नंबर 170/2018 सरकार बनाम प्रवेश यादव धारा 354 आईपीसी 3(1)d एससी एसटी एक्ट को गिरफ्तार किया गया । थाना बिल्सी पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त 1- धर्मेन्द्र पुत्र प्रकाश नि० ग्राम सिरौसौल पट्टी कुंवरसराय थाना बिल्सी जनपद बदायूं 2- राहुल पुत्र धर्मपाल नि० ग्राम सिरासौल उपरोक्त संबंधित वाद संख्या टी202012070603363 धारा 107/116 द०प्र०सं० को गिरफ्तार किया गया ।

शान्ति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत आज दिनांक 16-1-2021 को थाना कुवरगांव पुलिस द्वारा 02 अभि०गण 1- अफजाल पुत्र शेर अली नि० इमलिया थाना कुवरगांव जनपद बदायूं व 2- बाबू पुत्र शेर अली नि० इमलिया उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । थाना मुजरिया पुलिस द्वारा एक अभियुक्त सुखवीर पुत्र भीमसेन निवासी सराय मनसुख थाना मुजरिया जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त अमरपाल पुत्र महिंद्र निवासी ग्राम भोघाजीत नगरीया थाना जरीफनगर जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । थाना बिसौली पुलिस द्वारा 04 अभि०गण 1- वीरपाल पुत्र रामअवतार, 2- अतुल पुत्र रूम सिंह, 3- सुधीर पुत्र रामेश्वर, 4- लाट साहब पुत्र लेखराज निवासी गण याद पुर थाना बिसौली जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । थाना बिल्सी पुलिस द्वारा 07 अभि०गण 1- सत्यवीर पुत्र कल्याण सिंह नि० ग्राम निरजनपुर थाना बिल्सी जनपद बदायूं 2- राहुल पुत्र भूपाल सिंह 3- आजम पुत्र असफर नि०गण मिर्जापुर सोहरा थाना बिल्सी जनपद बदायूं 4- विमल आर्य पुत्र मुरारी लाल नि० मो० 2 कस्बा व थाना बिल्सी जनपद बदायूं 5- विशाल पुत्र बज्रवासी नि० मो० नं० 2 उपरोक्त 6- भानू दीक्षित पुत्र रामविलास दीक्षित नि० मो० वर्मा नगर आगरा रोड एटा हाल कस्बा व थाना बिल्सी बदायूं 7- दिलीप पुत्र भोजराज कश्यप नि० ग्राम अम्बियापुर थाना बिल्सी जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी करते हुए सम्बन्धित मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

सोशल मीडिया सैल,

जनपद बढ़ायँ ।